

टकशॉप किराया प्रक्रिया

विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए स्थापित टकशॉप के किराये हेतु अप्रैल एवं जून, 2017 में दो बार समाचार-पत्रों में समाचार-पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से निविदायें आमन्त्रित की गई थीं किन्तु इस सम्बन्ध में निर्धारित तिथि तक कोई निविदा विद्यालय को प्राप्त नहीं हुई । गत वर्ष 2016-17 में टकशॉप संचालनकर्ताओं (01-विरेन्द्र सिंह पँवार, 02- विजेन्द्र प्रसाद सेमवाल) से दूरभाषीय सम्पर्क कर उन्हें क्रय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होने हे अनुरोध किया गया । क्र०स०स० के अनुरोध पर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपनी लिखित सहमति दी गई कि वह गत वर्ष की दरों पर अर्थात् रू० 1100-00 प्रति माह प्रति टकशॉप की दर पर कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

उपरोक्त सहमति पत्रों के आलोक में क्र०स०स० के उपस्थित सदस्यों द्वारा परस्पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि गत वर्ष की अनुमोदित दर रू० 1100/- प्रतिमाह प्रति टकशॉप की दर पर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को कार्य अवसर प्रदान किया जाय तथा प्रति टकशॉप रू० 1000/- प्रतिमाह की दर से प्राथमिक रूप से धरोहर राशि विद्यालय में अवश्य कराई जाय । धरोहर राशि प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त कार्य करने का अवसर प्रदान न किया जाय ।

क्रय-सलाहकार-समिति सदस्यों के हस्ताक्षर:

01) उपजिलाधिकारी

02) प्राचार्य

03) उपप्राचार्य

04) प्राचार्य

(नामित अध्यक्ष-विप्रस)

राज०इ०का०

जनवि-धुनगिर

जनवि-धुनगिर

पुरोला

पुरोला